रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27122023-250930
CG-DL-E-27122023-250930

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 734] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 27, 2023/पौष 6, 1945
No. 734] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 27, 2023/PAUSHA 6, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2023

सं. 17/2023- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 918(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "व्हील लोडर्स", (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत माल से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 84295900 और 84295100 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 6/4/2022-डीजीटीआर, दिनांक 29 सितम्बर, 2023, जिसे दिनांक 29 सितम्बर, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि –

(i) विषयगत माल का विषयगत देशों से भारत को निर्यात इसके सामान्य से कम मूल्य पर किया गया है;

(ii) घरेलू उद्योग को विषयगत देश से संबद्ध आयात के कारण सारवान क्षति हुई है;

(iii) विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं के भारी आयात के कारण सारवान क्षति हुई है;

घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धाराओं (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तुओं पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद के अंतर्गत आती है: जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, उक्त सारणी के कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राशि के समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क लगाती है; यथाः-

सारणी

क्र.सं.	**सीमाशुल्क टैरिफ लाइन**	**वस्तुओं का विवरण**	**मूलत: उत्पादन का देश**	**निर्यातक देश**	**उत्पादक**	**शुल्क (अमरीकी डॉलर में सीआईएफ मूल्य का %)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1.	84295900 और 84295100	व्हील लोडर्स*	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	गुआंग्शी लियुगांग मशीनरी कंपनी लिमिटेड	55.18%
2.	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	कैटरपिलर (किंगझोउ) कंपनी लिमिटेड	18.84%
3.	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	कैटरपिलर (सुझोउ) कंपनी लिमिटेड	18.84%
4.	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	लिबेरर मशीनरी (डालियान) कंपनी लिमिटेड	शून्य
5.	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	शानडांग लिंगॉन्ग कंस्ट्रक्शन मशीनरी कंपनी लिमिटेड ("एसडीएलजी")	34.74%
6.	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	मैसर्स एक्ससीएमजी कंस्ट्रक्शन मशीनरी कंपनी लिमिटेड	77.68%
7.	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	कोई अन्य उत्पादक	82.71%

*"व्हील लोडर एक स्वप्रचालित व्हील माउंटेड उपकरण है जिसमें एक आर्टिकुलेशन जोड़ होता है जिसमें फ्रंट एंड लोडिंग तंत्र होता है।

पूरी तरह निर्मित इकाई (सीडीयू) या सेमी नॉक्ड डाउन (एसकेडी) के रूप में आयातित व्हील लोडर जांच के दायरे में शामिल है। तथापि, कंपलीटली नॉक्ड डाउन (सीकेडी) या कलपुर्जे के रूप में व्हील लोडर के आयात जांच के दायरे से बाहर हैं।

इस सिफारिश के प्रयोजनार्थ, एसकेडी रूप में किसी भी लोडर में इंजन, ट्रांसमिशन के साथ फिट मशीन बॉडी/चेसिस, या एक सिंगल यूनिट में एक्सेल शामिल है जिसे एक या उससे अधिक अन्य घटकों के साथ फिट किया अथवा नहीं किया जा सकता है।

स्पष्टीकरणः यदि चेसिस / मशीन बॉडी को इंजन, ट्रांसमिशन या उसमें लगे एक्सेल के बिना आयात किया जाता है तो उसमें कोई पाटनरोधी शुल्क देय नहीं होगा।

निम्नलिखित उत्पादों को जांच के दायरे के बाहर रखा गया हैः

निम्नलिखित विनिर्देशनों के व्हील लोडर्स को जांच के दायरे से बाहर रखा जाना हैः

क) 7,000 किलोग्राम से अधिक रेटेड पेलोड क्षमता; और

ख) 180 किलोवाट से अधिक क्रास इंजन पॉवर और

ग) राइट और लेफ्ट व्हील (व्हील ट्रीट/ट्रैक) के बीच केन्द्र से मापित दूरी 2280 मिलीमीटर से अधिक; और

घ) अगले और पिछले पहिये के एक्सेल (व्हील बेस) के बीच मापित दूरी 3350 मिलीमीटर से अधिक।

उक्त सभी मापदंड "और" शर्तें हैं दूसरे शब्दों में किसी उत्पाद को पीयूसी के दायरे से केवल तभी बाहर किया गया है यदि वह उक्त सभी शर्तों को एक साथ पूरा करें।

ङ) पूर्णत: नाक्ड डाउन (सीकेडी) या घटक रूप में व्हील लोडर जांच के दायरे से बाहर हैं।

च) बैट्री प्रचालित व्हील लोडर भी जांच के दायरे से बाहर हैं।

2. इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा और भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए,

(क) प्रतिपाटन शुल्क, की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई है और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

(ख) "सीआईएफ मूल्य" का अर्थ सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य है।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/232/2023-टीओ (टीआरयू-1) सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2023

No. 17/2023-Customs (ADD)

G.S.R. 918(E).—Whereas in the matter of 'Wheel Loaders' (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff item 84295900 and 84295100 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR (hereinafter referred to

as the subject country), and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification F No. **6/4/2022-DGTR**, dated the 29th September, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 29th September, 2023, has come to the conclusion that—

(i) the subject goods have been exported to India from the subject country at dumped prices;

(ii) the domestic industry has suffered material injury on account of subject imports from subject country;

(iii) the material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject country,

and has recommended imposition of an anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty calculated at the rate as specified in the corresponding entry in column (7), of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Customs Tariff Line	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty (% of CIF value in US$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	84295900 and 84295100	Wheel Loaders*	China PR	Any including China PR	Guangxi LiuGong Machinery Co. Ltd.	55.18%
2.	-do-	-do-	China PR	Any including China PR	Caterpillar (Qingzhou) Co., Ltd.	18.84%
3.	-do-	-do-	China PR	Any including China PR	Caterpillar (Suzhou) Co., Ltd.	18.84%
4.	-do-	-do-	China PR	Any including China PR	Liebherr Machinery (Dalian) Co. Ltd	NIL
5.	-do-	-do-	China PR	Any including China PR	Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd. (“SDLG”)	34.74%
6.	-do-	-do-	China PR	Any including China PR	XCMG Construction Machinery Co., Ltd.	77.68%
7.	-do-	-do-	China PR	Any including China PR	Any other Producer	82.71%

**“Wheel loader” is a self-propelled wheel-mounted equipment with an articulation joint, having front end loading mechanism.*

Wheel loader imported in the form of completely built unit (CBU) or semi-knocked down (SKD) are included within the scope of the investigation. However, imports of wheel loader in completely knocked down (CKD) or component form are excluded from the scope of the investigation.

A wheel loader in semi-knocked down (SKD) form consists of the machine body/chassis fitted with an engine, transmission, or axle in a single unit, which may or may not be fitted with one or more other components.

Explanation: If chassis/machine body is imported without an engine, transmission or axle fitted into it, no anti-dumping duties shall be payable.

The following products are excluded from the scope of the investigation:

The wheel loaders of the following specifications are to be excluded from the scope of the investigation:

a) Rated payload capacity of more than 7,000 KG; and

b) Gross engine power above 180 kW; and

c) Measured distance at the center between right and left wheel (wheel tread/track) above 2,280 mm; and

d) Measured distance between the front and back wheel axles (wheelbase) above 3,350 mm.

All the above parameters are 'and' conditions. In other words, a product is excluded from the scope of the PUC only if it satisfies all of the above conditions concurrently.

e) Wheel Loader in Completely Knocked Down (CKD) or component form are excluded from the scope of the investigation.

f) Battery-operated wheel loaders are also excluded from the scope of the investigation.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette, and shall be payable in Indian currency.

Explanation. – For the purposes of this notification,

(a) rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

(b) "CIF value" means the assessable value as determined under section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. CBIC-190354/232/2023-TO(TRU-I)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.12.27 21:30:29 +05'30'